



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2018/ 1105

भोपाल, दिनांक 30.06.2018

आदेश

सत्र जुलाई 2018 से विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास का शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

स.क्र.	विवरण	शुल्क राशि रू.
1	छात्रावास शुल्क	1500/- (प्रतिमाह)
2	छात्रावास कॉशनमनी शुल्क	1000/- (वापसी योग्य)

छात्रावास शुल्क प्रतिमाह, तिमाही, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक जमा किया जा सकता है। छात्रावास शुल्क प्रत्येक माह की दिनांक 01 से 10 तक जमा नहीं करने पर रू. 5/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क छात्रावास छोड़ने की तिथि तक देय होगा।

छात्रावास शुल्क एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

कॉशनमनी वापसी के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/2003/15554 दिनांक 24.12.2003 के नियम/ शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त व्यवस्था शुल्क निर्धारण छात्रावास में पूर्व से रह रही छात्राओं पर भी लागू होगी।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव

पृ.क्र./अका./2018/ 1106

भोपाल, दिनांक 30.06.2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव कुलपति, निज सहायक कुलाधिसचिव/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रो. कंचन भाटिया, मीडिया प्रबंधन विभाग, चीफ वार्डन (कन्या छात्रावास) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. सुश्री मनीषा वर्मा, सहायक प्राध्यापक मीडिया प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सुश्री निलिमा सिंह, सहायक ग्रेड-3, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
7. सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ।
8. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. संजय द्विवेदी)
कुलसचिव